12.00 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Reported Decision of Controller General of Accounts to Computerise the Compilation of Accounts

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Sir, I beg to move a matter of urgent public importance under Rule 377. It is a matter of great concern that the Comptroller General of Accounts has decided to computerise the compilation of accounts with effect from the monthly accounts for April 1978 onwards. This has naturally caused wide-spread protests and resentment among all sections of employees. The introduction of the system of computerisation will affect very seriously the future of the employees and their job security, apart from affecting job potential in future. Introduction of computer by the present Government goes wholly against the promises of the Ruling Party Although it is now being said that computers will be introduced in a limited way for the present, it will inevitably resume greater proportions sooner than later. The employees of the Organisation naturally are apprehensive of total blockade of promotional prospects which even now stand jeopardised by reason of the policies pursued by the Government. It is a matter of grave concern that in our country where there is a very large number of unemployed people, labour saving devices should be adopted which will seriously aggravate the gravity of unemployment situation. The Government while assuring full employment within a period of 10 years, is taking recourse to introduction of sophisticated gadgetry which ultimately is bound to create more unemployment. It is understood that the employees have already sent telegrams to the Prime Minister and the Finance Minister in this regard and also protested against the decision to introduce computers. I request the Government to immediately issue instructions to stop introduction of computers and also to take an early decision to reverse the scheme which was introduced during the Emergency to separate accounts from Audit.

(ii) Need for Supply of Dynamite at Fixed Price to Farmers

श्री धर्मसिंह भाई पटेल (पोरबंदर) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्न-दर्शित विषय पर मैं संक्षेप में एक वक्तव्य देता हूं ।

गुजरात में सौराष्ट्र प्रदेश के किसानों के कुओं में पानी कम होता जा रहा है । इसलिए कुओं को गहरा करने के लिए निश्चित किए हुए भाव से काफी मात्रा में किसानों को सरलता से डाइनामाइट सेल (टोटा) मिलने की सुविधा होने के बारे में माननीय कृषि मंत्री का ध्यान खीचना चाहता हूं । कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार प्रति दिन घोषणा करती है । लेकिन ज्यादा पैदावार लेने के लिए सिचाई की प्रथम जरूरत होती है । हमारे गुजरात में सरकार की सिचाई योजनाओं से पांच प्रतिशत और किसानों के अपने निजी कुओं, ट्यूबवेलों की सिचाई से दस प्रतिशत मिला कर अभी तीस साल के बाद भी कुल 15 प्रतिशत जमीन में सिचाई होती है । यह प्रतिशत देश के अन्य राज्यों से बहुत कम है ।

MR. SPEAKER: It seems you have added a lot in your statement. No, that is not permissible.

श्री धर्मसिंह भाई पटेल : हमारे गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में अब किसानों के कुओं में पानी कम होता जा रहा है । इसलिए ज्यादा पानी करने के लिए कुओं को गहरा करने के लिए डाइनामाइट सेल (टोटा) की बहुत जरूरत होती है । सरकार से डाइनामाइट सेल (टोटा) का भाव 2 रुपये तय किया है । लेकिन इस भाव में किसानों को व्यापारियों से डाइनामाइट सेल (टोटा) नहीं दिया जाता है । इस का

काला भाव कर के 9 से 11 रुपये मे डाइनामाइट सेल किसानो का बेचा जाता है। इसलिए मेरी निम्न प्रकार की माग है --

(1) गुजरात से सौराष्ट्र प्रदेश के किसानो को सरलता से निश्चित किए हुए करीब 2 रुपये के भाव मे डाइनामाइट सेल (टोटा) मिले इस का प्रबन्ध किया जाये।

(2) डाइनामाइट सेल (टोटा) का 9 से 11 रुपये तक का भाव ले कर काला बाजार होता है इसे तुरन्त बन्द किया जाये।

(3) कृषि की पैदावार बढाने के लिए डाइनामाइट सेल (टोटा) मे सब्सिडी का प्रबन्ध कर के इसे सस्ता करें ऐसी मैं कृषि मन्त्री जी से प्रार्थना करता हू।

(iii) REPORTED ISSUE OF LICENCES TO BIG BUSINESS HOUSES

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) अध्यक्ष महोदय मैं आप का धन्यवाद देता हू कि आप ने मुझे यह वक्तव्य देने का मौका दिया। इस सम्बन्ध मे हम लोगो ने, 51 ससद सदस्यो ने स्पेशल डिबेट के लिए माग भी की है।

MR SPEAKER That list should not be read out

श्री राम विलास पासवान एक तरफ जनता पार्टी की नीति बडे घरानो के एकाधिकार को खत्म कर देश मे समता की धारा एव बराबरी की धारा बहाना है लेकिन दूसरी ओर जनता सरकार द्वारा बडे घरानो को सर्वाधिक पूजी दे कर असमानता की खाई को और बढ़ावा देना दुखद विषय है। इस का ज्वलन्त उदाहरण एकाधिकार आयोग की राय लिए बगैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को जुलाई, 77 से दिसम्बर, 77 की अवधि मे 170 46 करोड रुपये

1196 LS—10.

के लाइसेंस दिये गये जिस मे बिरला को सर्वाधिक लाइसेंस (72 08 करोड रुपये) दिये गये। कम्पनी कार्य विभाग के हाल मे हुए रिव्यू के अनुसार जुलाई से दिसम्बर 77 में बडे घराना के 22 आवेदन पत्रो मे से केवल 5 रद्द किये गये। शेष 23 कम्पनियो के लिए अधिकाश राशि सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओ एव राष्ट्रीयकृत बैंक से दिये जायेंगे। जबकि कुछ कम्पनिया को अपनी ही आन्तरिक आमदनी से अपना शेयर बढाना है।

23 कम्पनिया मे से 3 बिडला की कम्पनी है जिसके लिए 72 08 करोड रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। 4 जे० के० सिघानिया की है जिसके लिए 27 70 करोड रुपये, दो थापर की कम्पनिया है जिसके लिए 18 45 करोड, 2 टाटा की कम्पनिया है जिसके लिए 9 03 करोड रुपये तथा 2 श्रीराम की हैं जिसके लिए 4 55 करोड रुपये की राशि दी गई है। दो उद्योगो मे ज्वाइंट सेक्टर कम्पनी है जिसका सुझाव थापर की ओर से आया था। नये उद्योग मेघालय और आध्र प्रदेश मे लगाये जायेंगे। 23 कम्पनियो के नाम तथा कुल दी गई राशि निम्न प्रकार है

1 जे० के० सिथेटिक्स 250 लाख

2 इडिया स्टीमशिप कम्पनी लि० 597 3 लाख

3 ग्रेक्स इडिया लि० 165 60 लाख

4 दिल्ली क्लाथ मिल्स 5 50 लाख

MR SPEAKER Mr Paswan that portion has been deleted

श्री राम विलास पासवान रेव्यू के दौरान सरकार ने 6 प्रस्तावो, जिसकी